न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22/2014 – निगरानी

1. कालूराम पुत्र छोटुलाल मीणा निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा

बनाम

1. रतन पुत्र देबी नायक निवासी शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत दौलतपुरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
निगरानी विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति शाहपुरा
पटटा पत्रावली सं.153 दिनांक 30.07.1990

1. श्री भैरूलाल वैष्णव अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री शोभागमल कुमावत अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 17.04.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 17.11.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 2 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को एक बापी पटटा ग्राम शिवपुरा में जरिये पत्रावली कमांक 153 दिनांक 30.07.1990 को भूखण्ड 30 बाई 45 फीट का 55/– रूपये जमा कर दिया गया जो पंचायतराज अधिनियम व नियमों के विपरीत अधिकार से परे जारी किया गया । गैर निगराकार सं. 02 द्वारा आनन फानन में बिना कोई पत्रावली कायम किये तथा बिना मौके निरीक्षण किये व बिना आपत्ति पत्र जारी किये व नियमानुसार सचिव के हस्ताक्षर के बिना गैर निगराकार सं. 01 के नाम बापी पटटा जारी किया गया जो पंचायत राज अधिनियम व नियमों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य हैं । गैर निगराकार सं. 02 द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये निगराकार की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 457 में गैर निगराकार सं. 01 के पत्र में बापी पटटा बिना किसी अधिकार के जारी किया गया

हैं जो प्रारम्भ से अवैध व शून्य हैं । निगराकार ने आराजी सं. 457 को दिनांक 26.7.2012 को नाथु पिता कल्ला भील निवासी शिवपुरा व दिनांक 25.7.2011 को श्रीमती कन्या पत्नी शंकर भील निवासी शिवपुरा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से काबिज होकर काश्त कर रहा हैं । जिसकी सीमा जानकारी के लिए निगराकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रकरण सं. 56/2014 दर्ज होकर दिनांक 9.6.2014 को स्वीकार किया गया । पत्थरगढी करवाते समय गैर निगराकार कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगा जिस पर निगराकार ने उनके विपरीत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के यहां स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र दिनांक 04.07.2014 को पेश किया गया । गैर निगराकार सं. 02 को मात्र आबादी भूमि में ही भूखण्ड देने या पटटा देने का अधिकार हैं, कृषि भूमि में पटटा जारी करने का क्षैत्राधिकार नहीं हैं, जिससे गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी पटटा दिनांक 30.07.1990 पत्रावली क्रमांक 153 प्रारम्भ से अवैध हैं । अतः प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी बापी पटटा पत्रावली सं. 153 दिनांक 30.07.1990 जो कि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में किया गया हैं को निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 20.11.2014 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं रिकार्ड तलब किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया । जिसके संदर्भ में विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा ने पत्र क्रमांक/3100 दिनांक 28.09.2015 से अवगत कराया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलतपुरा में पटटा जारी करने संबंधी पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की दिनांक 16.03.2017 को बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित बिन्दु सं. 1 से लगायत 8 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार ने आराजी सं. 457 को दिनांक 26.7.2012 को नाथु पिता कल्ला भील निवासी शिवपुरा व दिनांक 25.7.2011 को श्रीमती कन्या पत्नी शंकर भील निवासी शिवपुरा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तब से काबिज होकर काश्त कर रहा हैं । गैर निगराकार सं. 02 को मात्र आबादी भूमि में ही भूखण्ड देने या पटटा देने का अधिकार हैं। कृषि भूमि में पटटा जारी करने

का क्षैत्राधिकार नहीं हैं, जिससे गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी पटटा दिनांक 30.07.1990 पत्रावली कमांक 153 प्रारम्भ से अवैध हैं । अतः प्रार्थना हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा जारी बापी पटटा पत्रावली सं. 153 दिनांक 30.07.1990 जो कि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में किया गया हैं को निरस्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 02 ने जो पटटा जारी किया हैं, वो सभी ग्राम पंचायत नियमों व अधिनियम के तहत जारी किया गया हैं। गैर निगराकार सं. 02 ने आनन फानन में गैर निगराकार सं. 01 को बापी पटटा जारी नहीं किया , बल्कि नियमानुसार पटटा जारी किया हैं । गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में गैर निगराकार सं. 02 द्वारा आराजी नम्बर 457 में कोई पटटा जारी नहीं किया गया, जबकि उक्त आराजी के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पटटे को विधिवत मानते हुए, गैर निगराकार सं. 01 का वाद डिक्री किया गया हैं। निगराकार ने गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की हैं , जो खारीज होने योग्य हैं । गैर निगराकार सं. 01 ने एक आपराधिक मुकदमा सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया जिसके प्रकरण सं. 68/2000 नि.दी. (ई.दी.) रतन नायक बनाम शंकर खटीक व अन्य कायम हुए । सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2011 को निर्णय पारित करते हुए गैर निगराकार सं. 01 के पटटे को विधिवत मानते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी । जिससे स्पष्ट हैं कि तथाकथित पटटा वैध हैं । तथाकथित पटटाशुदा भूमि पर गैर निगराकार सं. 01 का वर्षों से कब्जा व उपयोग उपभोग हैं व ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. भी दी गयी हैं । अतः निगराकार की निगरानी सव्यय खारिज फरमायी जावे ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा जिला भीलवाडा के प्रकरण सं. 68/2000 नि.दी. (ई.दी.) रतन नायक बनाम शंकर खटीक व अन्य में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, जिसमें उक्त विवादित पटटा प्रदर्श हुआ । पत्थरगढी रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हैं कि प्रश्नगत पटटा निगराकार की कृषि भूमि में जारी किया गया हैं । सिविल न्यायालय वरिष्ठ खण्ड शाहपुरा जिला

भीलवाडा में दावा प्रकिया के दौरान नियुक्त कमीश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सिविल कोर्ट ने प्रश्नगत भूमि पर गैर निगराकार सं. 01 का कब्जा होकर पुराना मकान निर्मित होने के तथ्यों को स्वीकार किया हैं । निगराकार यह साबित करवाने में असफल रहा हैं कि प्रश्नगत पटटा उसकी स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि में जारी किया गया हैं। इस प्रकार प्रश्नगत पटटे की भूमि निगराकार की कृषि भूमि नहीं होने से एवं वादग्रस्त भूखण्ड पर गैर निगराकार सं. 01 का कब्जा होकर पुराना मकान निर्मित होने से निगरानी का कोई स्पष्ट आधार नहीं बनता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी निरस्त किये जाने के योग्य है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत दौलतपुरा खारिज की जाकर अधीनस्थ ग्राम पचांयत द्वारा जारी गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पटटा पत्रावली सं. 153 दिनांक 30.07.1990 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलतपुरा एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/04/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा